लेखकों /रचनाकारों हेतु दिशानिर्देश संबंधी नियमावली

(क) 'भाषा' पत्रिका में मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं पर आधारित भाषावैज्ञानिक,शोधपरक,साहित्यिक, तुलनात्मक साहित्य तथा अनूदित रचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी साहित्य तथा समसामयिक विमर्शों (स्त्री/दलित /आदिवासी आदि) पर भी लेख प्रकाशित किए जाएँगे।

(ख) रचनाकारों से प्लेगरिज्म संबंधी वचनबद्धता अनिवार्य है।

(ग) लेखों में संदर्भ-सूची देना अनिवार्य है। संबंधित संदर्भ प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अंकित होने चाहिए।

(घ) समीक्षा केवल दो वर्ष पुरानी पुस्तकों की ही प्रकाशित की जाएगी। समीक्षा हेतु पुस्तक की दो प्रतियाँ ली जाएँगी। स्वतः की गई समीक्षा को प्रकाशित किए जाने के लिए संपादन-मंडल बाध्य नहीं है।

(च) 'भाषा' पत्रिका में केवल केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक वर्तनी का प्रयोग ही किया जाएगा।

(छ) पत्रिका में प्रकाशन हेतु हस्तलिखित रचनाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। हस्तलिखित रचनाएँ प्राप्त होने की स्थिति में रचनाएँ लौटाई नहीं जाएँगी।

(ज) 'भाषा' में छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री यथासंभव सरल और सुबोध होनी चाहिए। रचनाएँ अनिवार्य रूप से टंकित रूप में यूनिकोड फॉन्ट में ही स्वीकार की जाएँगी।

(झ) लेख सामान्यतः फुलस्केप आकार के दस पृष्ठों से अधिक नहीं होने चाहिए और हाशिया छोड़कर एक ओर ही टाइप किए जाने चाहिए। लेख इत्यादि भेजते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र भी भेजा जाय कि रचना मौलिक तथा अप्रकाशित है तथा किसी भी रूप में अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुई है।

(ट) अनुवाद तथा लिप्यंतरण के साथ मूल लेखक की अनुमति भेजना अनिवार्य है।

(ठ) 'भाषा' पत्रिका में प्रकाशित अंकों से संबंधित लेखकों/रचनाकारों/पाठकों की टिप्पणियों तथा सुझावों को पत्रिका के अंत में 'आपने लिखा' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा।

(ड) पत्रिका की ई-प्रति पीडीएफ स्वरूप में यथासमय निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.chdpublication.education.gov.in पर अपलोड की जाएगी।

(ढ) सामग्री के प्रकाशन के संबंध में प्रधान संपादक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।